तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/7843/2001/जोधपुर** **सरकार बनाम म0 रामपुरीजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-12-2025	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 21–09–2001 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, शेरगढ (जोधपुर) ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कलाऊ तहसील शेरगढ की सरहद में खसरा नम्बर 411 रकबा 169.12 बीघा बारानी दोयम खसरा नम्बर 411/613 रकबा 2.10 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 494 रकबा 13.03 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नम्बर 410 रकबा 0.09 बीघा किस्म गै0मु0 लाटा कुल चार खसरा कुल रकबा 185.14 बीघा भूमि जमाबंदी के खाता संख्या 116, 163, 187 सम्वत् 2053 से 2056 अप्रार्थीयों के नाम खातेदारी की अंकित कर दी गयी है, जबकि खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2013 से 2032 के अनुसार उक्त भूमि डोली बनाम मंदिर रामपुरीजी महाराज वाके भाकरी प्र0 फलौदी बमुकाम पुजारी सुमारपुरी चेला किशनपुरी जाति गोसाई साकिन भाकरी तहसील फलौदी के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा यह भूमि मंदिर की डोली थी किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के हक में इस भूमि का धारा 175 का उल्लंघन करते हुए अवैध हस्तांतरण कर दिया गया जिसकी विधिवत् सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे। 3– न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–09–2001 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/7843/2001/जोधपुर** **सरकार बनाम म0 रामपुरीजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5- योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि मंदिर डोली श्री रामपुरी जी महाराज वाके भाकरी प्र0 फलौदी की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के मंदिर डोली श्री रामपुरी जी महाराज वाके भाकरी प्र0 फलौदी के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर सेवक/पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत आराजी को अप्रार्थीगण के खाते से हटाकर पुनः मंदिर डोली श्री रामपुरी जी महाराज वाके भाकरी प्र0 फलौदी के नाम दर्ज किया जावे। 6- हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ फोटो प्रति नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2013-32 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कलाऊ में स्थित खसरा नम्बर 411 रकबा 169.12 बीघा खसरा नम्बर 411/613 रकबा 2.10 बीघा खसरा नम्बर 494 रकबा 13.03 बीघा व खसरा नम्बर 410 रकबा 0.09 बीघा भूमि मंदिर डोली श्री रामपुरी जी महाराज वाके भाकरी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल नामांतरकरण संख्या 230, 457, 568, 630, 738 संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में मंदिर डोली श्री रामपुरी जी महाराज वाके भाकरी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मंदिर आदि शाश्वत् नाबालिग है और मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी/सेवक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 7- अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम कलाऊ में स्थित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/7843/2001/जोधपुर** **सरकार बनाम म0 रामपुरीजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नम्बर 411 रकबा 169.12 बीघा खसरा नम्बर 411/613 रकबा 2.10 बीघा खसरा नम्बर 494 रकबा 13.03 बीघा व खसरा नम्बर 410 रकबा 0.09 बीघा भूमि मंदिर डोली श्री रामपुरी जी महाराज वाके भाकरी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	